उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-190/2019/2757/92-2-19-19जॉच/2016

लखनऊ:: दिनांक 06 दिसम्बर 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा ग्राम पंचायत लतीफनगर, विकास खण्ड-सरेजनीनगर, जनपद-लखनऊ में निर्मित करायी गयी सी0सी0 रोड की मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की जॉच आख्या दि0 21-09-2016 के अनुसार पी0सी0सी0 1:2:4 लीन कंक्रीट 1:6:12 ब्रिक वर्क1:4 तथा प्लास्टर 1:4 के कार्य मौके पर किये गये निरीक्षण तथा विभागाध्यक्ष सिविल इंजीनियरिंग विभाग, के0एन0आई0टी0, सुलतानपुर से प्राप्त रसायनिक परीक्षण में विभागीय मानक के अनुसार निर्माण कार्य कराया जाना नही पाया गया। लीन कंक्रीट 1:6:12 का कार्य निर्मित मार्गो में कमजोर पाये जाने के फलस्वरूप परिलक्षित शासकीय क्षति में रू0 4,651.00 के लिये तथा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन के समय उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/शासनादेशों/वित्तीय नियमों के अनुरूप गुणवत्तापूर्वक कार्य सम्पादित न कराये जाने हेतु प्रथम दृष्ट्या उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1799/92-2-16-19जांच/2016, दि0 02-01-2017 द्वारा श्री रियाज अहमद सिददीकी, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-लखनऊ के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये उनका स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसका बचाव उत्तर श्री रियाज अहमद सिददीकी के पत्र दिनांक 03-02-2017 द्वारा शासन में प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-175/2018/3083/92-2-18-19जांच/2016 दि0 06-12-2018 द्वारा उन्हें परिनिन्दा का दण्ड देते हुये प्रकरण को समाप्त कर दिया गया।

2- शासन द्वारा निर्गत दण्डादेश दिनांक 06-12-2018 के विरूद्ध श्री रियाज अहमद सिददीकी, तत्का0 अधिशासी अभियंता द्वारा अपने अभ्यावेदन दि0 25-0152019 शासन में उपलब्ध कराया गया। उक्त अभ्यावेदन में श्री सिददीकी द्वारा पूर्व में दिये गये अपने बचाव उत्तर दि0 03-02-2017 के अतिरिक्त यह भी उल्लिखित किया गया कि प्रकरण में अंतर्ग्रस्त श्री अबरार अहमद, तत्का0 सहायक अभियंता सम्प्रति अवर अभियंता व श्री अभय नारायण सिंह, तत्का0 अवर अभियंता, जो कि प्रश्नगत कार्य कराये जाने हेतु क्षेत्रीय स्तर पर उत्तरदायी है, के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत मांगे गये स्पष्टीकरण के प्रकरण को निदेशक एवं मुख्य अभियंता के कार्यालय आदेश दि0 24-05-2017 द्वारा उक्त अवर अभियंताओं को भविष्य में कार्यो के प्रति और अधिक सजगह रहकर कार्य करने के निर्देश के साथ समाप्त कर दी गयी है। अतएव मुख्य रूप से कार्य कराने वाले अवर अभियंता को भविष्य के लिये सचेत किये जाने तथा मात्र पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व हेतु अधिशासी अभियता को परिनिन्दित किये जाने को न्याय की दृष्टि से उचित न बताते हुये उनके विरूद्ध निर्गत दण्डादेश को विलोपित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- अपचारी अधिकारी से माया गया स्पष्टीकरण, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, अपचारी अधिकारी के प्रत्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति, जो शासनादेश दिनांक 14-07-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार सहिष्णुता सीमा (02

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रतिशत) से कम है, को संबंधित ठेकेदार द्वारा राजकोष में जमा कर दिया गया है। अतएव श्री रियाज अहमद सिददीकी, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-लखनऊ सम्प्रति पीआईयू0-पीलीभीत के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-175/2018/3083/ 92-2-18-19जांच/2016 दि0 06.12.2018 द्वारा दिये गये परिनिन्दा दण्ड को कठोर चेतावनी में परिवर्तित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-190/2019/2757(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- श्री रियाज अहमद सिददीकी, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0विभाग, प्रखण्ड-कानपुर नगर सम्प्रति पीआईयू0-पीलीभीत द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0 , उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।